२०१)

[redacted]

5 रु कोर्ट फी Rs.5
COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 रिव्यु —एक / 15

रिव्यु - 2601 - I/15

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एड०

द्वारा आज दि. 12/8/15 को

पेश

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1— नवल सिंह पुत्र खासाराम

2— दामोदर

3— संतोष पुत्रगण रामजी लाल

निवासीगण ग्राम कोटरा तहसील

जौरा जिला मुरैना म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1— रोशन पुत्र वंशी

2— ओमप्रकाश पुत्र रामजी लाल

निवासीगण ग्राम कोटरा तहसील

जौरा जिला मुरैना म0प्र0

—— अनावेदकगण

आवेदक मृत नवल सिंह के वारिसान - (1)

रिव्यु आवेदन पत्र म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 2018—तीन / 09 में पारित आदेश दिनांक 15.6.2015 के विरूद्ध .

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से रिव्यु आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

[redacted]

5 रु. कोर्ट फ़ी Rs.5
COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

न्यायालय के आदेश दिनांक 19/6/17 के आदेशानुसार –
आवेदक नवल सिंह (मृत) के वारिसान निम्न हैं –
(1) चन्दन सिंह आयु -55 वर्ष
(2) रामवीर सिंह आयु -35 वर्ष
(3) राजकिशोर सिंह आयु -25 वर्ष
पुत्रगण स्व० नवल सिंह निवासीगण, ग्राम कोटरा तह० जौरा जिला मुरैना म०प्र०
(4) धनवन्ती पत्नी करतार पुत्री स्व० नवलसिंह निवासी – ग्राम हुजरा तह० जौरा जिला – मुरैना (म०प्र०)
(5) मीना पत्नी राजेन्द्र पुत्री स्व० नवलसिंह निवासी – ग्राम कोटरा तह० जौरा जिला मुरैना म०प्र०
(6) रूपाली पत्नी उदयसिंह पुत्री स्व० नवल सिंह निवासी – ग्राम हेतमपुर तह० जिला – मुरैना म०प्र०
(7) सरोज पत्नी लल्लू पुत्री स्व० नवल सिंह निवासी ग्राम धनेला तह० मुरैना म०प्र०
(8) मधुरा पत्नी बृजलाल पुत्री स्व० नवल सिंह निवासी ग्राम हेतमपुर तह० मुरैना म०प्र०

आवेदक मृत नवल सिंह के वारिसान –
(1)

निवासीगण ग्राम कोटरा तहसील
जौरा जिला मुरैना म0प्र0
—— अनावेदकगण

रिव्यु आवेदन पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 2018–तीन/09 में पारित आदेश दिमांक 15.8.2015 के विरूद्ध .

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से रिव्यु आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2601—एक / 15 जिला —मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25—9.17	आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2018—तीन / 2009 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2601—एक / 2015 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरांनी 2018—तीन / 2009 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 15.06.2015 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0	

2601—एक/2015 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:—

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य